नीटी, मुंबई /NITIE Mumbai-400 087

ट्रयूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति/ REIMBURSEMENT OF TUITION FEE

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निम्नलिखित जिन बच्चों /जिस बच्चे के ट्यूश।न शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिये दावा किया है, वे/वह मुझ पर पूरी तरह आश्रित हैं/है।/Certified that the child/children mentioned below in respect of whom reimbursement of tuition fee claimed is/are wholly dependent upon me

बच्चे का नाम/Name of	जन्म तारीख	जिस स्कूल में पढ	जिस कक्षा में पढ	वास्तव में भुगतान किया गया	भुगतान किया गया वास्तविक ट्यूशन	प्रतिपूर्ति के लिये दावे की
the child	/Date of	रहा/रही है/School in	रहा/रही है/Class	मासिक शुल्क /Monthly	शुल्क स तक/Tuition fee	रकम/
	Birth	which studying	in which	tuition fee actually	actually paid From To	Amount of
			studying	payable		reimbursement
						claimed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने प्रत्येक बच्चे के नाम के आगे दर्शाया टयूर । न र गुल्क का वास्तव में भ गतान किया है/प्रत्येक दावे के साथ नकदी रसीद / बैंक जमा वाऊचर नत्थी किये जायें । प्रमाणित किया जाता है कि :

- 1. मेरी पत्नी/मेरे पति केन्द्रीय सरकारी नौकरी में हैं/नहीं हैं
- 2. मेरी पत्नी/मेरे पित केन्द्रीय सरकारी नौकरी में हैं लेकिन वे बच्चे/बच्चों कें टयूशन के विषय में प्रतिपूर्ति का दावा नहीं करेंगी/करेंगें।
- 3. मेरे पति/मेरे पत्नीमें नियुक्त हैं। वे अपने बच्चे/बच्चों के टयूशन की प्रतिपृत्ति के पात्र नहीं हैं/पात्र हैं।
- 4. प्रमाणित किया जाता है कि दावा किये जाने की अवधि तक बच्चे/बच्चा नियामत स्कूल में उपस्थित रहें/रहा तथा उन्होंने/उसने एक महीनें से अधिक अवधि की छुट्ट ली।
- प्रमाणित किया जाता है कि जिन बच्चों का उल्लेख किया गया है,वे एक ही कक्षा में :
 से अधिक नहीं रहे।
- 6. प्रमाणित किया जाता है कि मैं या मेरी पत्नी/मेरे पति उपरिलखित बच्चों के लिये शै भात्ते का दावा नहीं करेंगे/करेंगी।
- 7. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने बच्चों के ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिये दावा कि मान्यता प्राप्त स्कूल/स्कूलों में पढ़ रहे हैं (जो स्कूल केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/र टेरिटरी प्रशासन/नगर पालिका निगम/नगरपालिका समिति/ पंचायत समिति / परिषद द्वारा चलाये जा रहे हैं, उनपर यह लागू नहीं होगा)।
- 8. उपर्युक्त दिये गये विवरण में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर,जो कि टयूशन शुल प्रतिपूर्ति की पात्रता पर असर डालता है,तुरन्त सूचना देने का तथा यदि कोई अि भुगतान किया गया है,तो उसे वापस करने का वचन देता हूं/देती हूं।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

स्पष्ट अक्षरों में नाम :

पदनाम व कार्यालय:

दिनांक :

जो लागू न हो उसे काट दें/ (केन्द्र सरकार के अलावा कहीं अन्य नियुक्त है, तो कृपया उल्लेख करें)। Certified that the tuition fees indicated against the child/each of the children had actually been paid by me (cash receipt/counterfoil of the Bank credit vouchers to be attached with the initial claim)

Certified that 350

- 1. My wife/husband is /is not a Central Govt. Servant.
- 2. My wife/husband is a Central Govt. Servant but she/he will not claim reimbursement of tuition fee in respect of our child/children.
- 3. My wife/husband is employed with she/he is/is not entitled to reimbursement of tuition fees in respect of our child/children.
- 4. Certified that during the period covered by this claim, the child/children attended the school(s) regularly and did not absent himself/herself/themselves from the schools (s) without proper leave for a period exceeding one month.
- 5. Certified that the child/children mentioned has/have not been studying in the same class for more than two years.
- Certified that I or my wife/husband have/has not claimed and will not claim the children's education allowance in respect of the children mentioned above.
- 7. Certified that my child/children in respect of whom reimbursement of tuition fee is claimed is/are studying in the schools which is/are recognised schools(s) (Not applicable to schools run by Central Govt. /State Govt./Union Territiory Administration/Municipal Corporation/Municipal Committee/Panchayat Samiti/Zilla Parishad).
- 8. In the event of any change in the particulars above which affect my eligibility for Reimbursement of Tuition fees, I undertake to intimate the same promptly and also to refund excess payments, if any, made.

Signature of Govt. Servant

Name in Block Letters:

Designation and Office:

Date : Strike out that is not applicable.(employer other than Central Govt. to be mentioned).